न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 30/2025 एल.आर.एक्ट
GCMS No. 2025/37

1. मघाराम पुत्र धन्नाराम जाति बावरी साकिन नानूवाला (चक 36 एन.पी.) तहसील रायसिंहनगर।

—— अपीलान्ट

बनाम

1. सहायक अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग उपखण्ड रायसिंहनगर।
2. राजस्थान सरकार।

—— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री विजय कुमार पारीक —अभिभाषक अपीलांट

निर्णय

दिनांक 28.07.2025

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलक्टर अनूपगढ़ के आदेश दिनांक 02.09.2024 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1— वादगत भूमि चक 38 एन.पी. तहसील रायसिंहनगर स्थित मुरब्बा नंबर 56 के किला नंबर 1 ता 25 कुल 24 बीघा 10 बिस्वा बारानी भूमि है। उक्त भूमि का पुख्ता आवंटन आवंटन अधिकारी (राजस्व), रायसिंहनगर द्वारा दिनांक 15.05.1992 को किया गया था। अधीनस्थ कार्यालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.09.2024 पारित कर चक 38 एनपी का प.नं. 2015/329 मु.नं. 56 के कि.नं. 1 एवं 10 की 0.481 हैक्टेयर बारानी भूमि को नवीन वाटर वर्क्स निर्माण हेतु जन स्वा. अभि. विभाग, उपखण्ड रायसिंहनगर को निःशुल्क आवंटित कर दिया। अधीनस्थ कार्यालय के उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.09.2024 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील पेश की है।

2— विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि वादगत भूमि का अपीलांट को आवंटन अधिकारी रायसिंहनगर द्वारा दिनांक 15.05.1992 को पुख्ता आवंटन किया गया था। उक्त भूमि गत 50 वर्षों से अपीलांट को आराजी काश्त पर आवंटन थी तथा नियमानुसार पुख्ता आवंटन कब्जा काश्त मानते हुए वैध रूप से सक्षम अधिकारी द्वारा आवंटन किया गया था, जो आज भी

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

बदस्तूर है। उक्त भूमि की 5 किश्तें जमा करवा दी गई है। किश्तो बाबत विवाद नायब तहसीलदार द्वारा पैदा किया गया, जिसे राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 22.05.2008 को निरस्त कर दिया गया। प्रकरण उपखण्ड अधिकारी के समक्ष आज भी विचाराधीन है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना मौका व राजस्व रिकार्ड की रिपोर्ट लिये, बिना अपीलांट को सुने व बिना नोटिस दिये इकतरफा तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर द्वारा भूमि आवंटन की गई है फिर उपखण्ड अधिकारी द्वारा वॉटर वर्क्स निर्माण हेतु यही भूमि दिये जाने का प्रतिवेदन पेश किया है, जो सर्वथा गलत है। अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस के संबंध में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये हैं:–

- आर.आर.डी. 2012 पेज संख्या 386
- राज. भू–राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओ, सार्वजनिक उपयोग के अनरू भव निर्माणार्थ अनाधिवासित सरकारी कृषि भूमि के आवंटन की शर्तें, 1963)

3– रेस्पोडेन्ट सं. 1 सहायक अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग उपखण्ड रायसिंहनगर ने अपने पत्रांक 1317 दिनांक 26.12.2024 द्वारा प्रकरण में अपना लिखित कथन मय दस्तावेज पेश कर अवगत कराया कि ग्राम 38 एनपी (बल्लेवाला) विभागीय जल योजना 48 एनपी से लाभान्वित है। ग्राम 38 एनपी से जल योजना 48 एनपी की दूरी लगभग 4.50 किमी है। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत ग्राम 38 एनपी को भी लाभान्वित किया गया है परन्तु जल योजना 48 एनपी से 5 गांव क्रमशः भौमपुरा, 48 एनपी, 38 एनपी, 45 एनपी, 47 एनपी जुड़े हुए है। जल योजना 48 एनपी पर विद्युत सप्लाई मात्र 6 घन्टे ही उपलब्ध रहती है। इस लिए ग्राम 38 एनपी मे भी पेयजल समस्या बनी रहती थी। इसलिए सभी गांवों में पर्याप्त पेयजल सप्लाई करने में समस्या उत्पन्न हो रही थी।

इसी क्रम में पेयजल समस्या को लेकर ग्राम 38 एनपी के निवासियों द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 का पूर्णतया बहिष्कार किया गया था जिस पर जिला कलक्टर अनूपगढ़ द्वारा मध्यस्थता कर ग्रामीणों से समझाइश ककी गई एवं उनकी मांग को स्वीकार करते हुए लिखित समझौता पत्र में ग्रामवासियोंद की मांग अनुसार गांव 38 एनपी एवं 45 एनपी को जलयोजना 48 एनपी से हटाकर नवीन जलयोजना 38 एनपी का निर्माण कर पेजयल उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिये जाने पर ग्रामवासियों द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 हेतु मतदान किया गया था। नवीन जलयोजना 38 एनपी के निर्माण हेतु भूमि ग्राम वासियों द्वारा उपलब्ध करवाने की भी सहमति लिखित समझौता पत्र में दी गई थी।

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर के पत्रांक 938 दिनांक 29.07.2024 के द्वारा 38 एनपी के प.नं. 215/329 मुरबा नं. 56 के किला नंबर 1 व 10 की 0.481 हैक्टेयर बारानी आराजीराज भूमि को नवीन जलयोजना 38 एनपी के निर्माण हेतु जिला कलक्टर अनूपगढ़ को भूमि आवंटन हेतु अनुशंषा की गई थी। इस बात जिला कलक्टर के आदेश क्रमांक राजस्व/आवंटन/2024/788 दिनांक 02.09.2024 के द्वारा चक 38 एनपी के प.नं. 215/329 मुरबा नं. 56 के किला नंबर 1 व 10 की 0.481 हैक्टेयर बारानी आराजीराज भूमि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग उपखण्ड रायसिंहनगर को निःशुल्क आवंटित कर दी गई थी। अतः अपील का स्पष्टीकरण माननीय न्यायालय की सेवा में सादर प्रेषित है।

4— हमने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तोवजों एवं अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तथा उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ कार्यालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.09.2024 पारित कर चक 38 एनपी का प.नं. 2015/329 मु.नं. 56 के कि.नं. 1 एवं 10 की 0.481 हैक्टेयर बारानी भूमि को नवीन वाटर वर्क्स निर्माण हेतु जन स्वा. अभि. विभाग, उपखण्ड रायसिंहनगर को निःशुल्क आवंटित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.09.2024 तहसीलदार रायसिंहनगर की रिपोर्ट दिनांक 23.07.2024 के आधार पर पारित है। तहसीलदार रायसिंहनगर की रिपोर्ट अनुसार उक्त वादगत भूमि चक 38 एनपी का प.नं. 2015/329 मु.नं. 56 के कि.नं. 1 एवं 10 की 0.481 हैक्टेयर बारानी भूमि आराजीराज दर्ज रिकार्ड है, जिसके आधार पर उपखण्ड अधिकारी रायसिंहनगर ने उक्त वादगत भूमि को वाटरवर्क्स के लिए आरक्षित किये जाने की अभिशंषा की है। उक्त परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.09.2024 न्यायोचित है। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त अपीलाधीन आदेश में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते है। अतः अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.09.2024 यथावत रखते हुए अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। निर्णय आज दिनांक 28.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर